

## ॥महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

क्रमांक:- 54183-233

दिनांक-11.12.19

-:आदेश:-

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा गम्भीरता से लिया जा रहा है। कारागार विभाग से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समय पर निस्तारण किया जावे। मुख्यालय के द्वारा बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उच्च स्तर पर शिकायतें अग्रेषित हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है आपके द्वारा कोताही, लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय पर सुनिश्चित करें। इसके अभाव में राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे ।

-sq-

(विक्रम सिंह)  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
2. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. समस्त मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान।
4. समस्त उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षक महिला बंदी सुधारगृह/उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर।
6. समस्त अधीक्षक मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय कारागार राजस्थान, को प्रेषित कर लेख है शाखा से संबंधित शिकायत का निस्तारण कम्प्यूटर शाखा में उपस्थित हो कर अपडेट(अद्यतन) करावे।
8. प्रभारी कंट्रोल रूम, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के संबंध में समस्त अधीक्षक/ उपाधीक्षक/प्रभारी अधिकारी को दूरभाष पर अवगत करावें।
9. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय बवैसाईट पर अपलोड किया जावे।

*Kungu*  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान, जयपुर।